खास खबरें

मकान का ताला तोड़कर घुसा बदमाश

नप्र, भोपालः चूनाभट्टी थाना क्षेत्र के शाहपुरा ए सेक्टर में अज्ञात बदमाश मकान का ताला तोड़कर अंदर घुस गया। फरियादी सतीश खरे की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

बैरसिया से बाइक चोरी

भोपाल। बैरसिया थाना क्षेत्र की कृष्णा विहार कॉलोनी से वीरेंद्र कुमार शर्मा की हीरो मोटरसाइकिल अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। शिकायत पर पुलिस ने वाहन चोरी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

गोदाम से सामान चोरी

भोपाल। बैरसिया थाना क्षेत्र में राजेश शिल्पकार की शिकायत पर अजय कुशवाह के खिलाफ गोदाम से सामान चोरी करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर मामले की जांच में जुटी है।

अधिक शराब पीने से मौत

भोपाल। बैरसिया थाना क्षेत्र में 40 वर्षीय तेज सिंह साहू की अधिक शराब पीने से मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया और मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

मंदिर में चोरी का प्रयास

भोपाल। ईटखेड़ी थाना क्षेत्र के रामजानकी मंदिर का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाश चोरी का प्रयास कर फरार हो गए। फरियादी प्रेमनारायण सैनी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नजीराबाद से युवती लापता

भोपाल। नजीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम रुनाहा से 22 वर्षीय सोनिका केवट बिना बताए घर से चली गई। पिता राधेश्याम केवट की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है।

छज्जे से गिरा युवक हुई मौत

मिसरोद थाना क्षेत्र में काम के दौरान खिड़की के छज्जे से गिरने से 28 वर्षीय देवी प्रसाद अहिरवार की मौत हो गई। एम्स अस्पताल से सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

48 क्वार्टर शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

छोला मंदिर थाना पुलिस ने चांदबाड़ी क्षेत्र में कार्रवाई कर बाबू पटेल को 48 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर शराब जब्त कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया।

सिंचाई परियोजना से 49,800 हेक्टेयर भूमि को मिलेगा सिंचाई लाभ

नप्र, भोपालः मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री नारायण सिंह पंवार ने राजगढ़ जिले में निर्माणाधीन सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के सभी निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों, उच्च गुणवत्ता और पूर्ण पारदर्शिता के साथ तय समय-सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली साबित होगी। पार्वती नदी पर बैराड गांव के समीप निर्मित हो रही इस परियोजना को वर्ष 2018 में 1,375.24 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। परियोजना के तहत लगभग 25.5 मीटर ऊंचा और चार किलोमीटर लंबा कंपोजिट बांध बनाया जा रहा है। साथ ही दो आधुनिक पंप हाउस और प्रेशराइज्ड पाइपलाइन आधारित सिंचाई प्रणाली विकसित की जा रही है, जिससे करीब 49,800 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।

सुरों की जुगलबंदी में भीगा अंतरंग सभागार, मेघ केदार और देस के रंगों से सजी संगीत संध्या

भारत भवन में आयोजित गायन पर्व में हुई आस्था गोस्वामी और रुचिरा केदार की प्रस्तुति

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भारत भवन के अंतरंग सभागार में आयोजित तीन दिवसीय 'गायन पर्व' के दूसरे दिन शनिवार की संध्या शास्त्रीय संगीत की गरिमा, रागों की गंभीरता और सुरों की मधुर संगति से सराबोर रही।

मंच पर जब युवा गायिकाएं सुश्री आस्था गोस्वामी और सुश्री रुचिरा केदार ने संयुक्त प्रस्तुति दी, तो यह केवल दो स्वरों का मिलन नहीं, बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा और सृजनशीलता का अनुपम संवाद बन गया। दोनों कलाकारों ने अपनी सधी हुई तालीम, भावपूर्ण अभिव्यक्ति और रागों की सूक्ष्म प्रस्तुति से श्रोताओं को देर तक मंत्रमुग्ध बनाए रखा।संगीत संध्या का शुभारंभ राग मेघ से हुआ। झपताल में निबद्ध विलंबित बंदिश 'गरजे घटा घन' के माध्यम से दोनों गायिकाओं ने वर्षा ऋतु की गहन अनुभूति को सुरों में साकार किया। गंभीर आलाप, मंद्र और मध्य सप्तक की विस्तारपूर्ण यात्रा तथा स्वरों की नफासत ने राग मेघ की प्रकृति को जीवंत कर दिया। इसके बाद द्रुत एकताल में प्रस्तुत बंदिश 'छायी घटा घनघोर' ने वातावरण में चंचलता और उल्लास का संचार किया। तानों, बोल-आलाप और लयकारी के सुंदर संयोजन ने प्रस्तुति को विशेष प्रभावशाली बना दिया।

संगीत की तकनीकी समृद्धि से परिचित कराया

इसके उपरांत कलाकारों ने राग केदार में 'कान्हा रे नंदनन्दन' की भावपूर्ण प्रस्तुति देकर भक्ति और माधुर्य का सुंदर समागम प्रस्तुत किया। राग केदार की गंभीरता और आध्यात्मिक आभा को उन्होंने अत्यंत संतुलित स्वर विन्यास के साथ अभिव्यक्त किया। इसके बाद प्रस्तुत तराना ने कार्यक्रम में नई ऊर्जा का संचार किया।

तीव्र लय, सटीक तालबद्धता और स्वरों की सघन बुनावट ने श्रोताओं को भारतीय शास्त्रीय संगीत की तकनीकी समृद्धि से परिचित कराया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में राग देस में प्रस्तुत बंदिश 'नदिया बैरी भई' ने विरह और संवेदना के भावों को सजीव कर दिया। इसके बाद पारंपरिक कजरी 'कहनवा मानो ओ राधा रानी' की प्रस्तुति ने लोक और शास्त्रीय संगीत के मधुर संगम का मनोहारी दृश्य उपस्थित किया। वर्षा ऋतु की लोक संवेदनाओं से ओतप्रोत इस प्रस्तुति ने पूरे सभागार को भावविभोर कर दिया और श्रोताओं ने कलाकारों का देर तक तालियों से अभिनंदन किया।

आज होगा समारोह का भव्य समापन

तीन दिवसीय गायन पर्व का समापन रविवार को होगा। अंतिम दिवस की शुरुआत डॉ. ऋषि मिश्र की शास्त्रीय गायन प्रस्तुति से होगी। इसके बाद सायं 7:45 बजे सुविख्यात गायिका सुश्री मंजरी असनारे केलकर अपनी सधी हुई, भावप्रधान और रागदारी से परिपूर्ण प्रस्तुति के साथ समारोह का समापन करेंगी। संगीत प्रेमियों को अंतिम दिन भी उच्चकोटि के शास्त्रीय संगीत का दुर्लभ रसास्वादन करने का अवसर मिलेगा।

चोरी की पल्सर बाइक बरामद, नाबालिग से पूछताछ

भोपाल। शाहजहाँनाबाद थाना पुलिस ने कोहेफिजा क्षेत्र से चोरी गई एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। पुलिस ने इस मामले में दो विधि-विरोधी बालकों से पूछताछ के बाद वाहन को बरामद कर संबंधित थाना पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार 4 जुलाई को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि लोकायुक्त कार्यालय के बाहर खड़ी काले रंग की बजाज पल्सर मोटरसाइकिल (एमपी-04-जेडजे-5718) चोरी हो गई है। सूचना मिलते ही शाहजहाँनाबाद थाना पुलिस की गश्ती टीम को वाहन की तलाश के निर्देश दिए गए। तलाश के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने दो विधि-विरोधी बालकों से पूछताछ की। पूछताछ के बाद चोरी गई पल्सर मोटरसाइकिल बरामद कर पुलिस अभिरक्षा में ले ली गई। बरामद वाहन को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद आगे की जांच के लिए थाना कोहेफिजा पुलिस को सौंप दिया गया है। संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और चोरी के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहनों की बरामदगी सुनिश्चित की जा रही है।

भोपाल कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई

करोड़ों रुपए की शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त

कार्रवाई में 15.89 हेक्टेयर सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15.89 हेक्टेयर सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराया है। प्रशासन के अनुसार मुक्त कराई गई भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य 42 करोड़ 38 लाख 36 हजार 976 रुपये है।

प्रशासन ने बताया कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला स्तर पर गठित संयुक्त दल ने भोपाल शहर के विभिन्न राजस्व वृत्तों में कार्रवाई की। अभियान के दौरान हुजूर, एम.पी. नगर, संत हिरदाराम नगर, कोलार, शहर, टी.टी. नगर और गोविंदपुरा क्षेत्रों में स्थित शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया गया।

कार्रवाई के दौरान कुल 15.88964 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कलेक्टर गाइडलाइन वर्ष 2026-27 के अनुसार इस भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य 42.38 करोड़ रुपये आंका गया है।

जिला प्रशासन का कहना है कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा। राजस्व विभाग के अधिकारियों को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने और भूमि को कब्जामुक्त कराने के निर्देश दिए गए हैं।

रोटरी क्लब भोपाल शाहपुरा की नई कार्यकारिणी ने संभाला कार्यभार

भोपाल। रोटरी क्लब भोपाल शाहपुरा की वर्ष 2026-27 की नई कार्यकारिणी ने शनिवार को होटल अतिशय, एमपी नगर में आयोजित समारोह में कार्यभार ग्रहण किया।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप बख्शी ने अपनी टीम के साथ मंडलाध्यक्ष मुकेश साहू की मुख्य अतिथि उपस्थिति में पदभार संभाला। पूर्व मंडलाध्यक्ष नरेंद्र जैन ने नई कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में निवर्तमान अध्यक्ष लखन पाटीदार ने अपने कार्यकाल के सेवा प्रकल्पों का विवरण प्रस्तुत किया। वहीं अध्यक्ष प्रदीप बख्शी ने वर्ष 2026-27 के लिए क्लब की भावी सेवा गतिविधियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा की। समारोह में पूर्व मंडलाध्यक्ष धीरन दत्ता, विभिन्न रोटरी क्लबों के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रोटेरियन ऋतुराज परमार ने किया।

जिला बदर आदेश का उल्लंघन बदमाश गिरफ्तार

भोपाल। शाहजहाँनाबाद थाना पुलिस ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले एक आदतन बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी राजू उर्फ राजेश कीर (44) निवासी वाजपेयी नगर, ईदगाह हिल्स, शाहजहाँनाबाद के खिलाफ पूर्व से नौ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस आयुक्त द्वारा 29 अगस्त 2025 को जारी जिला बदर आदेश के तहत आरोपी को प्रत्येक माह की 15 तारीख को संबंधित थाने में हाजिरी देने के निर्देश दिए गए थे।

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने आदेश का पालन नहीं किया, जिसके चलते उसके खिलाफ थाना शाहजहाँनाबाद में मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल भेजने के आदेश दिए गए।

वीर भारत न्यास ने जीतू पटवारी को भेजा 5 करोड़ का मानहानि नोटिस

नप्र, भोपालः मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा वीर भारत न्यास पर लगाए गए कथित अनियमितताओं के आरोप अब कानूनी विवाद में बदल गए हैं।

न्यास के सचिव श्रीराम तिवारी ने पटवारी को 5 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजते हुए तीन दिन के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और अपने बयानों पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में माफी नहीं मांगने पर उनके खिलाफ न्यायालय में मानहानि का दावा दायर किया जाएगा।

दिल्ली में क्या बोले थे जीतू पटवारी : गौरतलब है कि करीब पांच दिन पहले दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया था कि उज्जैन में लगभग 500 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन और भवन वीर भारत न्यास को मात्र एक रुपये की लीज पर दिए गए। उन्होंने दावा किया था कि नियमों की अनदेखी कर एक ट्रस्ट को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है।

अब सबकी नजर पटवारी के जवाब पर: मानहानि नोटिस जारी होने के बाद मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है।

गिदवानी पार्क के सामने की गली बन रही एक लाख से

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः वार्ड चार के गिदवानी पार्क के सामने वाली गली में रुपए 1 लाख की लागत से बनने वाली सीमेंट-कांक्रीट सड़क का भूमिपूजन किया। वार्ड पार्षद राजेश हिंगोरानी ने बताया कि सीआरपी क्षेत्र में रुपए 2 करोड़ के विकास कार्य शुरू हो रहे हैं, साथ ही जुलाई 2027 तक कार्यकाल पूरा होने से पहले रुपए 4 करोड़ के और कार्य कराए जाएंगे।

इस अवसर पर सिंधी सेंट्रल पंचायत के महासचिव सुरेश जसवानी, आरएसएस प्रमुख बसंत चेलानी और भाजपा नेता नरेंद्र लालवानी ने वार्ड में चल रहे विकास कार्यों को सराहा। इस मौके पर किशन अच्छानी, आजादसिंह सिसोदिया और नारायणदास सबनानी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।

सेफ क्लिक अभियानः डिजिटल अरेस्ट फिशिंग और ऑनलाइन ठगी से बचाव की दी जानकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पुलिस कमिश्नरेट के 'सेफ क्लिक अभियान 2.0' के तहत शनिवार को मिसरोद स्थित आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में करीब 700 छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को साइबर अपराधों के नए तरीकों, ऑनलाइन सुरक्षा और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सभी ने जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने की शपथ भी ली।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान रहे। इस अवसर पर आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज की डायरेक्टर डॉ. शालिनी कपूर, डीन, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मिनी शुक्ला, एसीपी रजनीश कश्यप, मिसरोद थाना प्रभारी रतन सिंह ठाकुर सहित कॉलेज का स्टाफ और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

अधिकारियों ने विद्यार्थियों को डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, फर्जी निवेश योजनाओं, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, यूपीआई एवं क्यूआर कोड फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग तथा ओटीपी और बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी की सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

साधु वासवानी कॉलेज में 'दीक्षारंभ समारोह' आयोजित

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः साधु वासवानी महाविद्यालय में नए छात्रों के स्वागत के लिए 'दीक्षारंभ समारोह' का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को कॉलेज की व्यवस्था, सुविधाओं और छात्र हित की योजनाओं से अवगत कराया गया।

प्राचार्य डॉ. ए.के. सिंह ने छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनने और सह-शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इंटर्नशिप, पोस्ट-मैट्रिक और मेधावी छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही छात्रों को एंटी-रैगिंग, साइबर सुरक्षा और एनसीसी-एनएसएस के महत्व के बारे में बताया गया। इस दौरान डॉ. हीना आस्वानी के निर्देशन में विशेष सत्र भी आयोजित किए गए।

डबल मर्डरः सुपारी किलर द्वारा हत्या की आशंका

दंपत्ति की हत्या के सात दिन बाद भी आरोपियों का सुराग नहीं,मोबाइल, सीसीटीवी और एफएसएल रिपोर्ट पर टिकी जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः ऐशबाग थाना क्षेत्र के सुदामा नगर स्थित आंबेडकर कॉलोनी में सेवानिवृत्त दंपती हेमंत फिलेमोन उर्फ हेमंत बारिक (64) और उनकी पत्नी शकुंतला बारिक (62) की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मामले के खुलासे के लिए पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने हत्या करने वालों अथवा साजिश से जुड़ी पुख्ता जानकारी देने वाले को 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है। घटना के सात दिन बाद भी पुलिस को कोई ठोस सफलता नहीं मिली है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

दंपती के शव 26-27 जून को उनके घर के भीतर सड़ी-गली अवस्था में मिले थे। प्रारंभिक जांच में पुलिस का अनुमान है कि दोनों की हत्या 24-25 जून के बीच की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, दोनों को करीब पांच से सात फीट की दूरी से गोली मारी गई। हेमंत बारिक के सिर और गर्दन, जबकि शकुंतला बारिक के सिर और सीने में गोली लगने से उनकी मौत हुई। पुलिस को घटनास्थल से लूटपाट के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

जांच में सामने आया है कि दंपती की कोई संतान नहीं थी, जबकि वे आसपास के लोगों से अपने बेटे के विदेश में रहने की बात कहते थे। दोनों की दूसरी शादी थी। पुलिस अब दो करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को लेकर संभावित विवाद और पारिवारिक साजिश के एंगल पर भी जांच कर रही है। वारदात से चार दिन पहले घरद्ध में रहने वाला किराएदार भी लापता हो गया था। मामले की जांच के दौरान दंपती के दोनों मोबाइल फोन चुनाभट्टी क्षेत्र के एक कूड़ेदान से बरामद हुए।

मोबाइल का डेटा डिलीट किया गया था, जिसे फॉरेंसिक जांच के जरिए रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, आसपास के ष्टष्टझङ्क फुटेज में रेनकोट और ग्लव्स पहने संदिग्ध युवक नजर आए हैं। एक शराब दुकान के सीसीटीवी में संदिग्ध के ऑनलाइन भुगतान करने की जानकारी भी मिली है, जिसके आधार पर उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है। जांच के सिलसिले में शकुंतला बारिक के भाई विनोद बारिक, समधी मोरिस सोलोमन और उनके बेटे से लंबी पूछताछ की गई है।

पुलिस का कहना है कि अभी किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। मामले की जांच के लिए एडिशनल डीसीपी रश्मि अग्रवाल के नेतृत्व में 12 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित किया गया है, जिसमें क्राइम ब्रांच और स्थानीय थाना पुलिस के अधिकारी शामिल हैं।

नवनिध में प्रतिभा प्रोत्साहन समारोह, 191 छात्राएं सम्मानित

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः नवनिध पब्लिक स्कूल में 'प्रतिभा प्रोत्साहन समारोह' का आयोजन किया गया। समारोह में सत्र 2025-26 की बोर्ड परीक्षाओं और गृह परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली तथा 100% उपस्थिति वाली कुल 191 छात्राओं को पुरस्कृत किया गया।

साथ ही बोर्ड परीक्षा की मेधावी छात्राओं के अभिभावकों को संस्था के सचिव घनश्याम लालवानी ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विद्यालय की पूर्व छात्राएं अमृता तलरेजा सॉफ्टवेयर डेवलपर, ओरेकल व दिव्या भावनानी ग्रेड-बी प्रबंधक, आरबीआई ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने छात्राओं को निरंतर परिश्रम और दृढ़ संकल्प को सफलता की गारंटी बताया। प्राचार्य अमृता मोटवानी ने स्कूल की उपलब्धियों और आईएसओ प्रमाणन की जानकारी दी।

इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स को भी शिविर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मंच संचालन छात्रा नूपुर लालवानी और वैष्णवी साहू ने किया।

नाम में त्रुटि सुधार हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक नाम नशा अमीन {NASHA AMEEN} है और मेरी पत्नी का नाम तौसिफा सिद्दीकी {TOSHIFA SIDDIQUI} है। परंतु त्रुटिवश मेरी पुत्री मीरब फातमा के विद्यालय के रिकार्ड में पिता के नाम में नशा खान और माता के नाम में तौसिफा खान दर्ज है जो कि गलत है। अतः भविष्य में मुझे नशा अमीन {NASHA AMEEN} और मेरी पत्नी को तौसिफा सिद्दीकी {TOSHIFA SIDDIQUI} के नाम से ही जाना, पहचाना, एवं माना जाये एवं दस्तावेजों में दर्ज किया जाये ।

नशा अमीन आत्मज समी उल्ला खान
निवासी-70, लाला लाजपतराय कालोनी, इवेंट्स कान्वेंट स्कूल दिलकुश बाग भोपाल

खंड-1
ई-निविदा आमंत्रण सूचना
मध्यप्रदेश शासन
कार्यालय -उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडलाधिकारी जिला-बैतूल, मध्यप्रदेश
ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या/3729/ई-टेंडरिंग/2026-27/ दिनांक 29.06.2026

वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल द्वारा म.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के अंतर्गत निम्नलिखित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सामग्री का विवरण	स्पेसिफिकेशन	मात्रा	सत्यांकार निधि	निविदा दस्तावेजों का मूल्य
1	सीमेंट	सीमेंट PPC (ISI) स्टेण्डडे बैब (मेजर ब्रांड)	2700 Bag	23000/-	500/-

1. निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते है।
2. इच्छुक निविदाकार क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/कैश कार्ड/इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 03/07/2026 शाम 05.00 PM बजे से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय तक केवल ऑनलाईन खरीद सकते है।
3. ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होगी।
4. ई-निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं।
5. ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टलः https://www.mptenders.gov.in/

जी-15239/26
वनमंडलाधिकारी,उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल

आस्था महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित
एचआईजी/एचएक्स हाउस नं.13,ई-7 एक्सटेंशन शाहपुरा,भोपाल 462016

सिक्योरिटाइजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता आस्था महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित के प्राधिकृत अधिकारी है। "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 200" की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों/सह-ऋणीयों/गारण्टर/बंधककर्ताओं (जिन्हें ऋणीयो एवं सह ऋणीयों के नाम से संबोधित किया जाएगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाते है तों प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अंतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चों एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी भी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) संपत्ति नियम 3(5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक संपत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चों प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/ जमानतदार नाम/ऋण खाता संख्या	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(ऋण खाता खंख्या) No.HL-20002001 ऋणी-श्रीमती सोनिया सिंह पत्नी श्री अनिल सिंह, सह-ऋणी-श्री अनिल सिंह पुत्र गणपत सिंह जमानतदार-श्रीमती नित्या सामंता पत्नी कोशिक सामंता, जमानतदार-श्री अशोक बनसोडे पुत्र सुखराम बनसोड़े	Rs.10,78,832/- दस लाख अठहत्तर हजार आठ सौ.बत्तीस मात्र 01/06/2026 तक	संपत्ति स्थित पताः भूखण्ड ID-1008, फ्लैट नंबर B-33/11, ब्लॉक नंबर B-33, 2BHK, प्यारेलाल खंडेलवाल काम्प्लेक्स, बावड़िया कलां, भोपाल (मध्य प्रदेश राज्य में, भोपाल सब-रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में)। इस प्रोपर्टी में उस पर बनी इमारत और शेड भी शामिल हैं एवं श्रीमती सोनिया सिंह पत्नी अनिल सिंह की है। इसका कुल क्षेत्रफल 536.06 वर्गफुट है। जिसकी सीमाएँः- पूर्व-ब्लॉक नंबर B-33/12, पश्चिम-खुला स्थान, उत्तर-खुला स्थान, दक्षिण-ब्लॉक नंबर B-33/10

दिनांकः03.07.2026 स्थानः भोपाल
प्राधिकृत अधिकारी